दिनांक 12.09.2023
प्रेस विज्ञप्ति 13/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

आपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जघन्य अपराधों में अभियुक्तों को आजीवन कारावास आदि की सजा

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व समय–समय पर दिए गए निर्देशों के क्रम में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए आपरेशन कन्विक्शन कार्य योजना के तहत उ0प्र0 पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा मा0 न्यायालय में संयुक्त रूप से प्रभावी पैरवी कराकर न्यूनतम समय में अधिक से अधिक सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त के क्रम में प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा हत्या, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट आदि जघन्य अपराधों में मुख्यतः निम्न जनपदों में अभियुक्तों को आजीवन कारावास आदि की सजा सुनाई गई है।

- **जनपद फतेहपुर/थाना हुसैनगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना हुसैनगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/452 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मेवालाल को आजीवन कारावास व 60 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हरदोई/थाना पचदेवरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना पचदेवरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/376एबी भादवि व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त कृष्ण कुमार को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद आजमगढ़/थाना जीयनपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 19 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना जीयनपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/363/366/506 भादवि व 17/18 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त शमशाद को 12 वर्ष के कठोर कारावास व 19 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद जालौन/थाना कोंच (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद जालौन पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जालौन द्वारा थाना कोंच पर पंजीकृत अभियोग में धारा 460 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त काले खां को 10 वर्ष के कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद गाजीपुर/थाना भाँवरकोल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 04 वर्ष के कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गाजीपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गाजीपुर द्वारा थाना भाँवरकोल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 354ख/504/506 भादवि व 3(2)(5क) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त भोरिक को 04 वर्ष के कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

जनपद मेरठ/थाना मवाना

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूटे गये 02 लाख 50 हजार 500 रूपये नगद**
- **लूटे गये रूपयो से खरीदी गयी 01 चार पहिया वाहन**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 12.09.2023 को थाना मवाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मवाना–परीक्षितगढ़ रोड पर स्थित ततीना मोड़ से 03 अभियुक्तों 1–अंकित 2–कोमल उर्फ आदर्श 3–विकास को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये 02 लाख 50 हजार 500 रूपये नगद, लूटे गये रूपयो से खरीदी गयी 01 चार पहिया वाहन, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना मवाना क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मवाना पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मवाना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अंकित निवासी ग्राम खजूरी थाना किला परीक्षितगढ़ जनपद मेरठ।

2–कोमल उर्फ आदर्श निवासी ग्राम खजूरी थाना किला परीक्षितगढ़ जनपद मेरठ।

3–विकास निवासी ग्राम खजूरी थाना किला परीक्षितगढ़ जनपद मेरठ।

बरामदगी

1—लूटे गये 02 लाख 50 हजार 500 रूपये नगद।

2—लूटे गये रूपयो से खरीदी गयी 01 चार पहिया वाहन।

3—घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

4—03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद हाथरस/थाना हाथरस जंक्शन

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 11.09.2023 को थाना हाथरस जंक्शन व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त शेखर प्रताप को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना गभाना अलीगढ़ पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना हाथरस जंक्शन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शेखर प्रताप निवासी ग्राम लोथा थाना लोथा जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद कौशाम्बी/थाना चरवा

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूटे गये सोने–चॉदी के आभूषण**
- **2410/–रूपये नगद**
- **लूट का 01 मोबाइल फोन**
- **11 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल**
- **02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 12.09.2023 को थाना चरवा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गुंगवा की बाग के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–विजय कुमार 2–आशीष घायल हो गये, जिन्हें अभियुक्त 3–सूरज 4–राहुल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये सोने–चॉदी के आभूषण, 2410/–रूपये नगद, लूट का 01 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 11 मोबाइल फोन, 02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 08.09.2023 को थाना चरवा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना चरवा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि उक्त घटना से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त विजय कुमार के विरूद्ध जनपद प्रतापगढ़ व कमिश्नरेट प्रयागराज के विभिन्न थानों पर चोरी, धोखाधड़ी आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना चरवा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—विजय कुमार निवासी रीवा मध्य प्रदेश।

2—आशीष निवासी तेलियरगंज, प्रयागराज।

3—सूरज निवासी समसपुर थाना चरवा जनपद कौशाम्बी।

4—राहुल निवासी गोमलवा थाना पूरामुफ्ती, प्रयागराज।

<u>बरामदगी</u>

1—लूटे गये सोने—चॉदी के आभूषण।

2—2410/—रूपये नगद।

3—लूट का 01 मोबाइल फोन।

4—घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

5—11 मोबाइल फोन।

6—02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

<u>जनपद हापुड़/थाना बाबूगढ़</u>

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 18 मोटर साइकिल, फर्जी नम्बर प्लेट आदि बरामद**

दिनॉकः 12.09.2023 को थाना बाबूगढ़ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अटूटा तिराहे के पास से 04 अभियुक्तों 1—वीर सिंह 2—सुशील 3—धर्मपाल 4—शेर सिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 18 मोटर साइकिल,फर्जी नम्बर प्लेट आदि बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना बाबूगढ़ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—वीर सिंह निवासी ग्राम कोकापुर की मढैया थाना आदमपुर जनपद अमरोहा।

2—सुशील निवासी ग्राम जुझारपुर थाना सैदनगली जनपद अमरोहा।

3–धर्मपाल निवासी ग्राम हाजीपुरा थाना नगली जनपद अमरोहा।

4–शेर सिंह निवासी ग्राम हाजीपुरा थाना नगली जनपद अमरोहा।

बरामदगी

1–चोरी की 18 मोटर साइकिल, फर्जी नम्बर प्लेट आदि।

जनपद फिरोजाबाद/थाना नगला खंगर

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के सोने के आभूषण**
- **लूट के 05 हजार 600 रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 12.09.2023 को थाना नगला खंगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नगला अण्डरपास पुल के पास से 02 अभियुक्तों 1–मोहित 2–शैलेन्द्र उर्फ आकाश को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के सोने के आभूषण, लूट के 05 हजार 600 रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 09.09.2023 को थाना नगला खंगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना नगला खंगर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना नगला खंगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मोहित निवासी नगला वल्ल थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद।

2—शैलेन्द्र उर्फ आकाश निवासी चन्द्रहंस की मढैया थाना नगला खंगर जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1—लूट के सोने के आभूषण।

2—लूट के 05 हजार 600 रूपये नगद।

3—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

4—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

जनपद बुलन्दशहर/थाना बीबीनगर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की सोने—चॉदी के आभूषण**
- **चोरी के 03 लाख 13 हजार रूपये नगद**
- **चोरी के रूपयो से खरीदे गये 02 मोबाइल फोन**
- **01 कैंटर वाहन**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉक:12.09.2023 को थाना बीबीनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बाहपुर में निर्माणाधीन हाइवे के पास से 03 अभियुक्तों 1—सुनील उर्फ कालिया 2—गौरव कुमार 3—अंकित कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की सोने—चॉदी के आभूषण, चोरी के 03 लाख 13 हजार रूपये नगद, चोरी के रूपयो से खरीदे गये 02 मोबाइल फोन, 01 कैंटर वाहन, 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना बीबीनगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटनाएं कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बीबीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार

अभियुक्त सुनील उर्फ कालिया के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के थाना बीबीनगर पर चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग, अभियुक्त गौरव के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के थाना बीबीनगर पर लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बीबीनगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुनील उर्फ कालिया निवासी लुधपुरा थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर।

2–गौरव कुमार निवासी लुधपुरा थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर।

3–अंकित कुमार निवासी पोटा कबूलपुर थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1–चोरी की सोने–चॉदी के आभूषण।

2– चोरी के 03 लाख 13 हजार रूपये नगद।

3–चोरी के रूपयो से खरीदे गये 02 मोबाइल फोन।

4–01 कैंटर वाहन।

5–03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना बुढाना

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी का 01 कैन्टर वाहन**
- **चोरी की 410 बोरी चीनी**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 12.09.2023 को थाना बुढाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गढी सखावत चौराहा के पास से अभियुक्त शादाब को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का

अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी का 01 कैन्टर वाहन, चोरी की 410 बोरी चीनी, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 21.08.2023 को थाना बुढाना क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा कैन्टर वाहन मय 410 बोरी चीनी सहित चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बुढाना पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद कैन्टर मय चीनी उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बुढाना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शादाब निवासी कस्बा व थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1–चोरी का 01 कैन्टर वाहन।

2–चोरी के 410 बोरी चीनी।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

एसटीएफः इन्टरनेट एवं फर्जी कॉल सेन्टर के माध्यम से नौकरी का झांसा देकर धनउगाही करने वाले गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को दिनांक को 12.09.2023 को इन्टरनेट व फर्जी कॉल सेन्टर के माध्यम से शिक्षित नवयुवकों को नौकरी का झांसा देकर धनउगाही करने वाले गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1–राजन श्रीवास्तव पुत्र स्व0 प्रकाश लाल श्रीवास्तव, नि0– बिसन्दरपुर, थाना शहर कोतवाली, जनपद मीरजापुर उ0प्र0। (हाल पता– ओम प्लाजा फ्लैट न0 305 से0.19 इन्दिरानगर लखनऊ)

2–राकेश शर्मा पुत्र राम कृष्ण शर्मा, नि0– बनगांव, थाना–गोला, गोरखपुर (हाल पता– ओम प्लाजा फ्लैट न0 208 से0.19 इन्दिरानगर लखनऊ)

3– सुरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र महेन्द्र प्रताप सिह, नि0– ग्राम आचीतपुर, थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़ उ0प्र0 (हाल पता– ओम प्लाजा फ्लैट न0 305/103 से0.19 इन्दिरानगर लखनऊ)

4–सुमेन्द्र तिवारी पुत्र स्व0 जितेन्द्र तिवारी, नि0– ग्राम बेहता बुजुर्ग थाना– बिलग्राम हरदोई उ0प्र0 (हाल पता– ओम प्लाजा फ्लैट न0 108 से0.19 इन्दिरानगर लखनऊ)

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांक– ओम प्लाजा फ्लैट न0 305 से0.19 इन्दिरानगर लखनऊ।

12.09.2023 समय 03 बजे प्रातः।

बरामदगीः–

1– 3 अद्द लैपटाप।

2– 70 अद्द मोबाइल फोन।

3– 97 अद्द कार्ड विभिन्न कम्पनियों के।

4– डाटा सीट कुल 141 वर्क।

5– सी0वी0 42 वर्क।

6– चेकबुक 13 अद्द।

7– पासबुक 1 अद्द।

8– एटीएम कार्ड 9 अद्द।

9– एटीएम स्वैपिंग मशीन 1 अद्द।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0, लखनऊ को काफी दिनों से फर्जी कॉल सेन्टर के माध्यम से बेरोजगार शिक्षित नवयुवकों से नौकरी के नाम पर धनउगाही करने वाले संगठित गिरोह के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हो रही थी, जिनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही एवं गिरफ्तारी हेतु एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में श्री धर्मेश कुमार शाही, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0 के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी,

अभिसूचना के दौरान दिनांक 12.09.2023 को मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि विगत तीन वर्षो से लगातार फर्जी कॉल सेन्टर के माध्यम से बेरोजगार शिक्षित नव युवकों से नौकरी के नाम पर धनउगाही करने वाले संगठित गिरोह ओम प्लाजा इन्दिरानगर से0– 19 में कॉल सेन्टर खोल कर बेरोजगार नवयुवकों को गुमराह कर धनउगाही कर रहे है, इस सूचना पर निरीक्षक राघवेन्द्र सिंह, उ0नि0 अतुल चतुर्वेदी, उ0नि0 प्रदीप सिंह, हे0कां0 नीरज पाण्डेय, हे0कां0 सुशील सिंह, हे0कां0 रामनिवास शुक्ला, हे0कां0 राजीव कुमार, आरक्षी अमित त्रिपाठी, आरक्षी अमर श्रीवास्तव की मुखबिर के बताये हुये स्थान पर पहुंचकर, आवष्यक घेराबन्दी करते हुये उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम सभी की मुलाकत नोएडा में नौकरी करने के दौरान हुई थी जिसके पश्चात विगत 03 वर्षो से हम लोग एक साथ फर्जी व कूटरचित नाम पतों पर प्री एक्टिवेटेड मोबाइल सिम कार्ड भारी मात्रा में खरीदते है, व इन्टरनेट पर www.foundit.in के माध्यम से शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों का डाटा डाउनलोड कर उन्हे फोन कॉल करके फर्जी नौकरीयों के नाम पर धन उगाही करते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों को मु0अ0सं0–397/2023 धारा–419/420/467/468/471 भादवि व 66 आईटी एक्ट में थाना गाजीपुर, जनपद लखनऊ में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

एसटीएफः सेना का कर्नल बताकर अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर भारतीय सेना में भर्ती कराने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालें गिरोह का सरगना व शातिर अपराधी एस0टी0एफ0 द्वारा गिरफ्तार।

दिनांक 11–09–2023 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को थाना गंगानगर, जनपद मेरठ क्षेत्र से सेना का कर्नल बताकर अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर भारतीय सेना में भर्ती कराने के नाम पर धोखाधडी करने वालें गिरोह के सरगना व शातिर अपराधी को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

सत्यपाल सिंह यादव पुत्र करन सिंह यादव ग्राम ईशापुर, थाना गुलावठी ,जनपद बुलन्दशहर हाल नि0 म0न0 587 कसेरू बक्सर, अम्हेडा रोड, मेरठ

बरामदगीः–

1– 01 अदद वर्दी (भारतीय सेना के कर्नल रेंक, एएमसी

2– 08 अदद आई0कार्ड

3– 02 अदद मोबाईल फोन

4– 05 अदद रबड मोहर

5– 01 अदद प्रिन्टर

6– 05 अदद ज्वानिंग लेटर (सेना एलडीसी क्लर्क)

7– 38 अदद स्पीट पोस्ट स्लिप

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–

म0नं0 587 कसेरू बक्सर, थाना गंगानगर, जनपद मेरठ दिनांक–11.09.2023।

एसटीएफ0 उ0प्र0 को भारतीय सेना में अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर फर्जी तरीके से भर्ती कराने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में फर्जी तरीके से भर्ती कराने वाले गिरोह के सरगना एंव सदस्यों की गिरफ्तारी हेतु एस0टी0एफ0 की इकइयों/टीमों को अभिसूचना संकलन कर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री बृजेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उपरोक्त के क्रम में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ को आर्मी इंटलिजेंस मेरठ एंव अभिसूचा संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि अम्हेडा रोड कसेरू बक्सर में सत्यपाल नाम का व्यक्ति जो भारतीय सेना का रिटायर्ड है तथा अपने आपको सेना का कर्नल बताकर अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर भारतीय सेना में भर्ती कराने के नाम पर काफी अभ्यर्थियों के साथ धोखाधड़ी कर चुका है, आज अपने घर में कुछ लोगों को भर्ती कराने की बात कर रहा है। इस सूचना पर निरीक्षक श्री रविन्द्र कुमार के नेतृत्व में

उ0नि0 दुर्वेश डबास, उ0नि0 संजय सिंह, हे0कां0 प्रमोद कुमार, हे0कां0 विकास धामा एंव हे0कां0 विनय कुमार की टीम अम्बेडा रोड कसेरू बक्सर स्थित सत्यपाल सिंह यादव के मकान पर पहूँची तो गेट का दरवाजा खुला था तथा घर के अन्दर से 02 लडके आते हुए मिले जिनसे नाम पता पूछा तो पहले ने अपना नाम जितेन्द्र सिंह पुत्र दिनेश कुमार नि0 म0नं0 148 गली नं.–1 मीनाक्षीपुरम, थाना गंगानगर, मेरठ व दूसरे ने अपना नाम सुनील कुमार पुत्र दिनेश कुमार नि0 उपरोक्त बताया। सत्यपाल के घर पर आने का कारण पूछा तो सुनील ने बताया कि सत्यपाल सिंह यादव ने उसे व उसकी बहन को भारतीय सेना में एलडीसी क्लर्क के पद पर भर्ती कराने के नाम पर 16 लाख रूपयें करीब 02 साल पहले लिए थे। माह मई में उसके व उसकी बहन के नाम से ज्वाईनिंग लेटर स्पीड पोस्ट से उसके पैतृक निवास ग्राम– इस्माईलपुर, तहसील सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर प्राप्त हुये जिसमें 07 मई को रिक्रूरूटमेंट आफिस (है0क्वा.) 236 एम0जी0 रोड लखनऊ केंट–02 में ज्वाईनिंग करने हेतु लिखा गया था। इस पर वह और उसकी बहन पूनम दि0 07–05–2023 को ज्वानिंग करने के लिये गये तो वहां इस नाम का कोई आफिस नहीं था। फिर उन्होंने आर्मी ए0एम0सी0 हैड क्वार्टर लखनऊ जाकर जानकारी की गई तो वहां पर मौजूद आर्मी वालों ने बताया कि इस नाम का यहां पर कोई भी हैड क्वार्टर नहीं है, यह ज्वानिंग लेटर फर्जी है तथा आपके साथ किसी ने धोखा किया है। आज वह लोग इसी सम्बन्ध में बात करने आये थे। तत्पश्चात एसटीएफ टीम घर के अन्दर गयी तो ड्राईगं रूम में एक व्यक्ति भारतीय सेना के कर्नल की वर्दी पहने बैठा मिला तथा नेम प्लेट पर डी0एस0चौहान अंकित है। यह व्यक्ति दाहिनी पेर से पैरालाईसिज है। अपना परिचय देकर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैं भारतीय सेना में कर्नल हूँ तथा मेडीकल पर चल रहा हूँ। साथ में आये लडकों के बारे में पूछा कि क्या आप इन्हें जानते हो तो उसने कहा कि हॉ मैं इन्हें जानता हूँ। तदोपरान्त सत्यपाल सिंह यादव उपरोक्त को गिरफ्तार करते हुए उपरोक्तानुसार बरामदगी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त ने संक्षिप्त पूछताछ पर बताया कि उसका असली नाम सत्यपाल सिंह यादव पुत्र करनसिंह यादव नि0 ग्राम ईशापुर, थाना गुलावठी, जनपद

बुलन्दशहर है तथा वर्तमान में म0न0 587 कसेरू बक्सर, अम्हेडा रोड, मेरठ में रह रहा है। वह भारतीय सेना वर्ष–1985 में भर्ती हुआ था तथा वर्ष–2003 में नायक एमटी (ड्राईवर) के पद से रिटायर्ड हुआ है। उसकी शिक्षा 10वीं फेल है। रिटायर्ड होने के करीब 03 साल बाद उसे पैरालाईसिस हो गया था। सुनील कुमार उपरोक्त द्वारा उपलब्ध कराये गये ज्वानिंग लेटर के बारे में पूछताछ की तो बताया कि उसके लडके रजत उर्फ देवेन्द्र व प्रशांत लेपटॉप पर टाईप कर प्रिंट निकालते है तथा वही ज्वानिंग लेटर विभिन्न जगहों से सम्बन्धित अभ्यार्थियों को उनके पते पर स्पीड पोस्ट करते हैं। वह अपने आपको भारतीय सेना में भर्ती केन्द्र का कर्नल बताकर लडकों से उन्हें भारतीय सेना में भर्ती कराने के नाम पर मोटी रकम वसूल करता है। रजत उर्फ देवेन्द्र व प्रशांत के बारे में पूछताछ पर बताया कि वह लखनऊ किसी काम से गये हुये है तथा जिस लेपटॉप पर वह लेटर टाईप करते हैं उन्हीं के पास है। वह व उसके दोनों लडके भारतीय सेना में भर्ती कराने के नाम पर प्रत्येक अभ्यार्थी से 7 लाख से लेकर 9 लाख रूपये तक लेते हैं। वह यह काम लगभग वर्ष–2016 से लगातार कर रहे हैं। इसी प्रकार के एक फर्जी वाडे के मामले में उसके दोनों लडकों के विरूद्ध वर्ष–2019 में थाना इंचौली जनपद मेरठ पर भी अभियोग संख्याः 97/2019 धारा 420, 406, 506 भादवि पंजीकृत हुआ था, जिसमें उसे भी आरोपी बनाया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के पुत्र रजत उर्फ देवेन्द्र व प्रशांत की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्त सत्यपाल सिंह यादव उपरोक्त के विरूद्ध थाना गंगानगर जनपद मेरठ पर मु0अ0सं0 261/2023 धारा 420/467/468/471/171/120बी भादवि पंजीकृत कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा किया जा रहा है।

दिनांक 12.09.2023	
प्रेस विज्ञप्ति 14/2023	

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपराध नियन्त्रण आदि के सम्बन्ध में की गयी समीक्षा

श्री विजय कुमार पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा आज दिनांक 12.09.2023 को पुलिस मुख्यालय पर समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त, उ0प्र0 के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपराध नियंत्रण के सम्बन्ध में समीक्षा की गयी।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय द्वारा अपराध नियंत्रण यथा– लूट, डकैती, महिला सम्बन्धित अपराध, पॉक्सो एक्ट, गोतस्करी/गोकसी, धर्म परिवर्तन आदि के सम्बन्ध में गहन समीक्षा करते हुये वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही के निर्देश दिये गयेः–

- लूट/डकैती व अन्य गम्भीर प्रवृत्ति के अपराधों की समीक्षा कर अनावरित प्रकरणों का शीघ्र अनावरण कराते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाये।
- महिला सम्बन्धी अपराधों को और अधिक गम्भीरता से लेते हुए संलिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध त्वरित वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- अवैध धर्म परिवर्तन आदि से सम्बन्धित घटित घटनाओं में तत्काल समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर तत्परता पूर्वक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- पॉक्सो एक्ट के अभियोग की विवेचना के दौरान फारेन्सिक साक्ष्य संग्रह कराते हुए निर्धारित समयावधि में विवेचना का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जाये तथा मा0 न्यायालय में अभियुक्तों को दण्डित कराने हेतु प्रभावी पैरवी की जाये।
- गोतस्करी/गोकसी की रोकथाम हेतु कार्य योजना बनाकर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा उक्त घटना में सम्मलित अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी विधिक/निरोधात्मक कार्यवाही की जाये।

- अपराध नियन्त्रण एवं कानून–व्यवस्था के सम्बन्ध में जनपदीय वरिष्ठ अधिकारी/थाना प्रभारी/बीट आरक्षी की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाये।
- माफियाओं तथा पेशेवर अपराधियों का चिन्हाकंन कर उनके विरूद्ध योजनाबद्ध तरीके से प्रभावी वैधानिक कार्यवाही की जाये।
- माफियाओं एवं संगठित अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति को गैंगेस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस अवसर पर विशेष पुलिस महानिदेशक, कानून–व्यवस्था/अपराध, अपर पुलिस महानिदेशक 1090, अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जीएसओ सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहें।